



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042026-271573
CG-DL-E-04042026-271573

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1654]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1654]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

सं. 72/2025-2026

विषय: आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के तहत, तूर/पिजन पीज़ (केजनस काजन) [आइटीसी (एचएस) 07136000] की "मुक्त" आयात नीति को 31.03.2027 तक बढ़ाना।

का.आ. 1719(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आयात नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07136000	तूर/पिजन पीज़ (केजनस काजन)	मुक्त	31.03.2026 तक आयात 'मुक्त' है।	31.03.2027 तक आयात 'मुक्त' है।

अधिसूचना का प्रभाव: तूर की "मुक्त" आयात नीति दिनांक 31.03.2027 तक आगे बढ़ाई गई है।
इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम-5012/300/2002/पीसी-2(ए)/ई-1657]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2026

No. 72/2025-26

Subject: Extension in "Free" Import Policy of Tur/Pigeon Peas (Cajanus Cajan) [ITC (HS) 0713 60 00] under ITC (HS) 2022, Schedule - I (Import Policy) till 31.03.2027

S.O. 1719(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy Conditions as under:

ITC(HS) Code	Item Description	Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
07136000	Tur/Pigeon Peas (Cajanus Cajan)	Free	Import is 'Free' up to 31.03.2026.	Import is 'Free' up to 31.03.2027.

Effect of the Notification: The "Free" Import Policy of Tur stands extended up to 31.03.2027.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2(A)/E-1657]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042026-271572
CG-DL-E-04042026-271572

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1653]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1653]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

सं. 71/2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अन्तर्गत [आईटीसी (एचएस) कोड 07133110] उड़द [(बीन्स ऑफ एसपीपी विग्रा मुंगो (एल) हेप्पर)] की "मुक्त" आयात नीति में 31.03.2027 तक विस्तार के संबंध में।

का.आ. 1718(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा आयात नीतिगत शर्त में निम्नलिखित संशोधन करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07133110	उड़द [बीन्स ऑफ एसपीपी विग्रा मुंगो (एल.) हेप्पर]	मुक्त	आयात 31.03.2026 तक 'मुक्त' है।	आयात 31.03.2027 तक 'मुक्त' है।

अधिसूचना का प्रभाव: उड़द की "मुक्त" आयात नीति को 31.03.2027 तक बढ़ा दिया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम-50 12/300/2002/पीसी-2(ए)/ई-1657]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2026

No. 71 /2025-26

Subject: Extension in "Free" Import Policy of Urad ([Beans of SPP Vigna Mungo (L) Hepper]) [ITC (HS) Code 07133110] under ITC (HS) 2022, Schedule -I(Import Policy) till 31.03.2027-reg

S.O. 1718(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy Condition as under:

ITC(HS) Code	Item Description	Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
07133110	Urad [Beans of SPP Vigna Mungo (L.) Hepper]	Free	Import is 'Free' up to 31.03.2026.	Import is 'Free' up to 31.03.2027.

Effect of the Notification: The "Free" import policy of Urad stands extended upto 31.03.2027.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-50 12/300/2002/PC-2[A]/E-1657]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042026-271571
CG-DL-E-04042026-271571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1652]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1652]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

सं. 70/2025-2026

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के लिए आयात अवधि को बढ़ाने के संबंध में।

का.आ. 1717(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023, दिनांक 23.02.2024 की अधिसूचना संख्या 61/2023, दिनांक 05.04.2024 की अधिसूचना संख्या 04/2023, दिनांक 08.05.2024 की अधिसूचना सं. 12/2024-25, दिनांक 13.09.2024 की अधिसूचना संख्या 29/2024-25, दिनांक 24.12.2024 की अधिसूचना संख्या 43/2024-25 और दिनांक 10.03.2025 की अधिसूचना संख्या 63/2024-25 और दिनांक 31.05.2025 की अधिसूचना सं. 16/2025-26 के क्रम में, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए मौजूदा आयात नीतिगत शर्त, जो कि

दिनांक 31 मार्च, 2026 तक वैध है, को दिनांक 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाती है। अन्य सभी नियम और शर्तें उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचनाओं के अनुसार यथावत रहेंगे।

अधिसूचना का प्रभाव:

आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात एमआईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना सभी आयात खेप, जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 31 मार्च, 2027 को या उससे पहले तत्काल प्रभाव से आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अध्यक्षीन 'मुक्त' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-VI/E-9019]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2026

No. 70/2025-26

Subject: Extension in Import Period for Yellow Peas under ITC (HS) Code 07131010 of Chapter 07 of ITC (HS) 2022, Schedule -I (Import Policy)-reg.

S.O. 1717(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, and in continuation to Notification Nos. 50/2023 dated 08.12.2023, 61/2023 dated 23.02.2024, 04/2023 dated 05.04.2024, 12/2024-25 dated 08.05.2024, 29/2024-25 dated 13.09.2024, 43/2024-25 dated 24/12/2024, 63/2024-25 dated 10.03.2025 and 16/2025-26 dated 31.05.2025, the Central Government hereby extends the current Import Policy Condition for Yellow Peas under ITC(HS) Code 07131010 of Chapter 07 of ITC(HS), 2022, Schedule -I (Import Policy), which is valid till 31st March, 2026, **upto 31st March, 2027**. All other terms and conditions remain the same as in the above-referred Notifications.

Effect of the Notification:

Import of Yellow Peas under ITC (HS) Code 07131010 is "Free" without the MIP condition and without Port Restriction, subject to the registration under online Import Monitoring System, with immediate effect, for all import consignments where Bill of Lading (Shipped on Board) is issued **on or before 31st March 2027**.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-VI/E-9019]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042026-271570
CG-DL-E-04042026-271570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1651]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1651]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

सं. 69/2025-2026

विषय: आइटीसी एचएस, 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 48 के अंतर्गत आने वाली विशिष्ट वस्तुओं के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआइपी) की शर्त में विस्तार के संबंध में।

का.आ. 1716(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1992 के धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नीति परिपत्र सं. 04/2025-26 दिनांक 03-09-2026 के साथ पठित अधिसूचना सं. 26/2025-26 दिनांक 22.08.2025 के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी एचएस, 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 48 के अंतर्गत आने वाली विशिष्ट वस्तुओं की न्यूनतम आयात (एमआइपी) शर्त को 1 माह की अवधि के लिए अर्थात् 31.03.2026 से 30.04.2026 तक विस्तारित करती है। अधिसूचना सं. 26/2025-26 दिनांक 22.08.2025 में दिए गए नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।

अधिसूचना का प्रभाव: आइटीसी (एचएस) कोड 48059100, 48059200, 48059300, 48109200 और 48109900 के तहत वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड (वीपीबी) के आयात पर लागू लागत, बीमा और माल भाडा (सीआइएफ) मूल्य पर

न्यूनतम आयात मूल्य (एमआइपी) 67,220 रुपये प्रति मीट्रिक टन को एक माह की अवधि के लिए अर्थात् 30.04.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/36/एएम-25/पीसी-2(ए)/ई-43352]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2026

No. 69/2025-26

Subject: Extension in Minimum Import Price (MIP) Condition of specific items covered under Chapter 48 of ITC HS, 2022, Schedule -I (Import Policy)-regarding.

S.O. 1716(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, and in continuation of Notification No. 26/2025-26 dated 22.08.2025 read with Policy Circular No. 04/2025-26 dated 03.09.2026, the Central Government hereby extends the Minimum Import (MIP) condition of specific items covered under Chapter 48 of ITC HS, 2022, Schedule -I (Import Policy), for a period of 1 month i.e. from 31.03.2026 to 30.04.2026 with all other terms and conditions remain same as in the Notification No. 26/2025-26 dated 22.08.2025.

Effect of the Notification: Minimum Import Price (MIP) @ INR 67,220 per MT on Cost, Insurance, and Freight (CIF) value, imposed on import of Virgin Multi-layer Paper Board (VPB) under ITC (HS) Codes 48059100, 48059200, 48059300, 48109200 and 48109900 has been extended for a period of one month i.e. up to 30.04.2026.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-25/PC-2(A)/E-43352]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042026-271564
CG-DL-E-04042026-271564

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1664]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1664]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

सं. 68/2025-26

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची- I (आयात नीति) में यूरिया [एक्सिम कोड 31021010] की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 1729(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. 54/2015-20 दिनांक 24.02.2023, 16/2015-20 दिनांक 22.03.2023, 79/2023 दिनांक 18.03.2024 और 65/2024-25 दिनांक 18.03.2025 के क्रम में, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 31 के आईटीसी (एचएस) कोड 31021010 के अंतर्गत आयात नीतिगत शर्त में संशोधन करते हुए सरकारी खाते में यूरिया के आयात हेतु इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) की एसटीई स्थिति को दिनांक 31.03.2027 तक बढ़ाती है। अधिसूचना सं. 79/2023 दिनांक 18.03.2024 के अनुसार अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: सरकारी खाते में यूरिया (कृषि श्रेणी) का आयात, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 2.21 (राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आयात) के अधीन इंडियन पोटाश लिमिटेड (आइपीएल) के माध्यम से दिनांक 31.03.2026 तक अनुमत है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/102/एएम-02/पीसी-2(ए) पार्ट-II/ई-1715]

लव अग्रवाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March 2026

No. 68/2025-26

Subject: Amendment in import policy condition of Urea [Exim Code 31021010] in the ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy) - Regarding.

S.O. 1729(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, and in continuation of Notification Nos. 54/2015-20 dated 24.02.2023, 61/2015-20 dated 22.03.2023, 79/2023 dated 18.03.2024 and 65/2024-25 dated 18.03.2025, the Central Government hereby **extends the STE status of Indian Potash Limited (IPL) till 31.03.2027 for import of Urea on Government account**, by amendment in Import Policy Condition under ITC(HS) Code 31021010 of Chapter 31 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy). All other terms and conditions remain the same as in the Notification No. 79/2023 dated 18.03.2024.

Effect of this Notification: Import of Urea (Agricultural grade) on Government account is allowed through Indian Potash Limited (IPL), subject to Para 2.21 (imports by State Trading Enterprises) of FTP 2023, **till 31.03.2027.**

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/102/AM-02/PC-2(A) Part-II/E-1715]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.